भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1547

जिसका उत्तर 27 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है।

6 अग्रहायण, 1941 (शक)

इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में निवेश

1547. श्री दयाकर पसुनूरी:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में निवेश में तेजी लाने से संबंधित औद्योगिक चिंताओं पर चर्चा हेतु लगभग 50 फर्मों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ कोई बैठक की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या रहे;

(ख) क्या सरकार को इन फर्मो से कोई निवेश योजना/प्रतिबद्धता मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी क्या स्थिति है; और

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र (ईएसडीएम) हेतु 400 बिलियन डॉलर का कारोबार प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति, 2019 को स्वीकृति दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) : दिनांक 16.9.2019 को 54 इलेक्ट्रॉनिकी सेक्टर फर्मों के सीईओ और प्रतिनिधियों के साथ माननीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में एक गोलमेज़ बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य उद्योग के समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियों और उद्योग जगत की सरकार से अपेक्षाओं की पहचान करना था। मोबाइल हैंडसेट, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी, सामरिक इलेक्ट्रॉनिकी, चिकित्सा उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण सेवाओं, इलेक्ट्रॉनिकी घटक, टेलीकॉम और एलईडी लाइटिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों ने गोलमेज बैठक में भाग लिया।

इसके दौरान प्रकट की गई प्रमुख चिंताएं/भागीदार कंपनियों से प्राप्त सुझावों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्निलखित बातें शामिल थीं :

- कॉर्पोरेट आय कर की उच्च दर एक चिंता का विषय है।
- मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) के बदले में नई योजना तैयार करने सहित प्रतिस्पर्धी निर्यात प्रोत्साहनों की आवश्यकता।
- संघटक विनिर्माण पारिस्थितकी तंत्र का अभाव मूल्यवर्धन के लिए चिंता का विषय है।
- निर्यात पर 10 वर्ष के लिए आय करावकाश।
- टीवी पैनलों के विनिर्माण के लिए आवश्यक ओपन सैल के आयात पर 5% आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) को वापस लेने की आवश्यकता।
- इलेक्ट्रॉनिकी के अन्य क्षेत्रों में चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) की आवश्यकता।
- संशोधित विशेष प्रोत्साहन योजना (एम-सिप्स) जैसी नई योजना का विस्तार करने या लागू करने की आवश्यकता।

गोलमेज बैठक के बाद सरकार द्वारा की गई निम्नलिखित नीतिगत घोषणाएं इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण उद्योग को प्रोत्साहन देंगी :

- कॉर्पोरेट आयकर दरों में कमी
- टीवी के पैनलों के विनिर्माण के लिए ओपन सैल पर बीसीडी की छूट

विवरण **अनुबंध-1 और 2** में दिए गए हैं।

(ख) : एम-सिप्स के अंतर्गत 40,362 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव ऐसे 26 फर्मों से प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने उक्त गोलमेज़ बैठक में भागीदारी की थी। इनमें से कई फर्मों और उनकी आपूर्ति श्रंखला भागीदारों ने भारत में अपनी विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने में रूचि दर्शायी है।

(ग) : सरकार ने भारत को इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए वैश्विक हब के तौर पर स्थापित करने और उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक समर्थकारी वातावरण सृजित करने के लिए दिनांक 25.02.2019 को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2019 (एनपीई 2019) अधिसूचित की है।

एनपीई 2019 की प्रमुख विशेषताएं और ईएसडीएम के लिए भारत को एक वैश्विक हब के तौर पर स्थापित करने के लिए एनपीई 2019 के तहत उठाए गए कदमों का विवरण क्रमश: **अनुबंध-1 और 2** में दिया गया है।

******

अनुबंध-1

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2019 (एनपीई 2019) की प्रमुख विशेषताएं

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2019 की प्रमुख विशेषताओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) 2025 तक 400 बिलियन अमरीकी डॉलर का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आर्थिक विकास ईएसडीएम के सम्पूर्ण मूल्यश्रृंखला में घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना।

(ख) विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी ईएसडीएम क्षेत्र के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।

(ग) इलेक्ट्रॉनिक संघटक विनिर्माण पारिस्थितकी तंत्र को बढ़ावा देना।

(घ) बड़ी परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन के विशेष पैकेज जो काफी हाईटेक और अधिक निवेश वाली हैं जैसे अर्धचालक सुविधाएं (विश्वसनीय फॉड्री सहित) डिस्पले फेबरीकेशन, फोटोनिक्स और एलईडी चिप फेबरीकेशन इकाईयां ।

(ङ) 5जी, आईओटी/सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग, ऑगमेंटिड रियलिटी (एआर) और वर्चुअल रियलिटी (वीआर), ड्रोन, रोबोटिक्स, एडीटिव विनिर्माण, खेल और मनोरंजन, फोटोनिक्स, नैनो आधारित उपकरणों आदि जैसे उभरते हुए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों और चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिकी, रक्षा और रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिकी, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिकी, साइबर सुरक्षा, विद्युत इलेक्ट्रॉनिकी और ऑटोमेशन सहित उद्योग के नेतृत्व में अनुसंधान और विकास व नवोद्भव को प्रोत्साहन देना और इलेक्ट्रॉनिकी के सभी उप क्षेत्रों में स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना।

(च) ईएसडीएम के क्षेत्र में पुन:कौशलन सहित काफी मात्रा में कुशल जनशक्ति की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करना।

(छ) पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल ढंग से ई-अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान, ई-अपशिष्ट रि-साइकिलिंग उद्योग के विकास और ई-अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए नागरिक भागीदारी कार्यक्रमों को सुकर बनाने के साथ-साथ ई-अपशिष्ट प्रबंधन की हरित प्रक्रियाओं और स्थायी समाधान के लिए उद्योगों के साथ अनुसंधान, नवाचार को बढ़ावा देना और उन्हें सहायता प्रदान करना।

(ज) भारत के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रोफाइल में सुधार करने के लिए साइबर सुरक्षा पर जोर देना और विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिकी मूल्य श्रृंखला से जुड़ी पहलों को बढ़ावा देना।

(झ) इलेक्ट्रॉनिकी के निम्नलिखित उप क्षेत्रों में प्रमुख क्षमताओं के विकास के लिए विशेष सहायता प्रदान करना:

- फैब रहित चिप डिज़ाइन उद्योग
- चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग
- ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग और मोबिलिटी के लिए पॉवर इलेक्ट्रॉनिकी
- रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग

(ञ) ईएसडीएम के क्षेत्र में बौद्धिक संपदा (आईपी) के विकास और अधिग्रहण को बढ़ावा देने के लिए संप्रभु पेटेंट निधि (एसपीएफ) का सृजन।

******

अनुबंध- 2

ईएसडीएम के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एनपीई 2019 के तहत उठाये गए कदम

1. कॉर्पोरेट आयकर में कटौती

घरेलू कंपनियाँ अब 22% (अधिभार और उपकर सहित 25.17%) की दर से रियायती कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकती हैं, बशर्ते कि ऐसी कंपनी ने किसी भी आयकर प्रोत्साहन या छूट का दावा नहीं किया है। ऐसी कंपनियां न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी नहीं होंगी। इसके अलावा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के विनिर्माण और बढ़ावा देने के लिए नए निवेशों को आकर्षित करने के लिए, नया प्रावधान किया गया है, जो 1 अक्टूबर, 2019 को या उसके बाद शामिल किए गए नई घरेलू कंपनियों को, विनिर्माण क्षेत्र में नए निवेश करके, और 31 मार्च, 2023 से पहले परिचालन शुरू करके, 15 प्रतिशत (अधिभार और उपकर सहित 17.16%) पर कॉर्पोरेट आयकर का भुगतान करने का विकल्प की अनुमति देता है। ऐसी कंपनी आयकर अधिनियम के तहत किसी अन्य आयकर छूट/प्रोत्साहन का लाभ नहीं उठा सकती है। ऐसी कंपनियां न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी नहीं होंगी।

छूट/प्रोत्साहन का लाभ उठाने वाली कंपनियों के लिए एमएटी दर 18.5% से घटाकर 15% कर दी गई है।

2. टीवी पैनलों के विनिर्माण के लिए ओपन सेल पर बीसीडी की छूट

टीवी पैनलों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए , उन्होंने लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) और लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी) टीवी पैनलों के विनिर्माण में उपयोग के लिए ओपन सेल (15.6 "और इससे अधिक) पर अधिरोपित बीसीडी दिनांक 17.09.2019 के सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 30/2019 के जरिये सितंबर 2019 तक 5% से घटाकर नील कर दिया गया है। इसके अलावा, बीसीडी को ओपन सेल के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित इनपुट पर छूट दी गई है:

- चिप ऑन फिल्म
- मुद्रित सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए)
- सेल (ग्लास बोर्ड/सब्सट्रेट)

3. वि निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए पूंजीगत माल पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (बीसीडी) की छूट

केंद्रीय बजट 2019-20 में, उद्योग की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य से वास्तविक उपयोगकर्ता की स्थिति के अधीन विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं जैसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी), सेलुलर मोबाइल फोन के चार्जर, प्रदर्शन पैनल, आदि, के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट पूंजीगत माल [अध्याय 82, 84, 85 और 90 के तहत आने वाले] पर बीसीडी की छूट दी गई है।

4. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में निवेश को बढ़ावा देने के प्रयास

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा विभिन्न देशों में भारतीय और विदेशी कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। इस संबंध में, हाल हीं , सचिव, एमईआईटीवाई ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और टेट्रानिक्स 2019 में भागीदारी के लिए 15-18 अक्टूबर, 2019 के दौरान ताइवान में सरकार-उद्योग के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। सचिव की यात्रा के दौरान, एमईआईटीवाई ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कंपनियों, *अर्थात्* सार्कोम, फॉक्सलिंक, फॉक्सकॉन, नान्य प्लास्टिक, निष्क्रिय सिस्टम एलायंस, विस्ट्रान और ट्राईपोड के साथ एक-एक बैठकें की।

माननीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के प्रमुख नेताओं के साथ दिनांक 16.09.2019 को एक गोलमेज बैठक आयोजित की गई।

*****